भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3879
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- डिजिटल कृषि मिशन
3879. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके डिजिटल उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और बाजार संपर्कों के माध्यम से देश भर में राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में, कितने किसान लाभान्वित हुए है;
(ख) प्रौद्योगिकी, कृषि संबंधी डेटा और मौसमपूर्वानुमान तक पहुंच में सुधार हेतु डिजिटल कृषि मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा छोटे और सीमांत किसानों हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करने का विचार है; और
(घ) महाराष्ट्र में क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत, एग्रीस्टैक एक डिजिटल आधार है जिसे कृषि क्षेत्र में डेटा और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्थापित किया गया है ताकि विभिन्न सरकारी योजनाएं पात्र किसानों तक अधिक तेज़ी से और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। इसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्ट्री शामिल हैं, जैसे किसान रजिस्टर, जियो- रेफ्रेंस विलेज मैप और बोई गई फसल का रजिस्टर, जिसे सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार करके रखा जाता है।
एग्रीस्टैक कई प्रकार की डिजिटल सेवाओं और योजनाओं के सुचारू संचालन में सहायता करता है, जिनमें प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद और उर्वरक बुकिंग शामिल हैं। यह आपदा राहत वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण को आधे घंटे के भीतर स्वीकृत करना और खरीद योजनाओं में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहतर पहुंच जैसी सेवाओं की त्वरित डिलीवरी को भी सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, किसान आईडी का उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नामांकन, पीएम-आशा की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद और फसल एवं इनपुट नियोजन में सहायता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लिंक करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही, डिजिटल फसल सर्वेक्षण डेटा का उपयोग लगभग वास्तविक समय में फसल उत्पादन अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है।
6 अगस्त, 2026 तक, देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 1.36 करोड़ से अधिक किसान आईडी शामिल हैं। किसान आईडी का राज्यवार विवरण अनुबंध – I में दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, रबी 2025-26 के दौरान, देश के 648 जिलों में 31.3 करोड़ से अधिक भूखंडों को कवर करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के 34,99,974 भूखंड शामिल हैं। डीसीएस भूखंडों का राज्यवार विवरण अनुबंध – II में दिया गया है।

(ख) किसान अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके स्वयं किसान आईडी के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तथापि, महाराष्ट्र में किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से एक अभियान चलाया गया, ताकि अधिक से अधिक किसानों को शीघ्रातिशीघ्र अपनी किसान आईडी प्राप्त हो सके।
महाराष्ट्र ने एआई-आधारित एप्लिकेशन 'महाविस्तार' विकसित किया है, जिसके माध्यम से किसानों को उनके मोबाइल फोन पर उनकी स्थानीय भाषा में समय पर जानकारी प्रदान की जाती है, जिनमें मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन पद्धतियां, कीट और रोग प्रबंधन, कृषि उपज की बिक्री के लिए बाजार की जानकारी और अन्य कृषि संबंधी सलाहकार सेवाएं शामिल हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य एग्रीस्टैक पहल के कार्यान्वयन के माध्यम से डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर रहा है। इसका उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें ऋण माफी योजनाओं का कार्यान्वयन, महाडीबीटी और पीओसीआरए डीबीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से कृषि संबंधी योजनाओं के तहत लाभों का वितरण, आपदा राहत और पुनर्वास, उर्वरक वितरण और अन्य सरकारी सेवा वितरण तंत्र शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कुशल और पारदर्शी शासन के लिए एक एकीकृत, किसान-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है।

(घ) डिजिटल कृषि मिशन के तहत, महाराष्ट्र में सभी क्षेत्रों के किसानों को शामिल करने के लिए विशेष उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें वे किसान भी शामिल हैं जो क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए किसान पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 4 अगस्त 2026 तक कुल 22,597 वन अधिकार धारक किसानों ने सफलतापूर्वक अपना किसान पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा लिया है। इस पहल से इन किसानों को डिजिटल कृषि मिशन और विभिन्न किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाओं का निर्बाध रूप से लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

अनुबंध-।

6 अगस्त, 2026 तक पूरे देश में बनाए गए किसान आईडी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए किसान आईडी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	51,21,750
2	असम	14,64,996
3	बिहार	55,50,075
4	छत्तीसगढ़	37,81,504
5	गुजरात	62,46,923
6	हरियाणा	12,26,907
7	हिमाचल प्रदेश	5,97,153
8	जम्मू और कश्मीर	160
9	कर्नाटक	66,05,504
10	केरल	25,65,507
11	मध्य प्रदेश	1,14,44,193
12	महाराष्ट्र	1,36,28,992
13	ओडिशा	20,87,004
14	पंजाब	3,85,515
15	राजस्थान	87,46,218
16	सिक्किम	38,507
17	तमिलनाडु	36,53,156
18	तेलंगाना	50,68,737
19	त्रिपुरा	91,154
20	उत्तर प्रदेश	2,47,59,182
21	उत्तराखंड	3,30,466
	कुल	**10,33,93,603**

अनुबंध -II

डिजिटल फसल सर्वेक्षण: रबी 2025-26

क्र.सं.	राज्य	प्लाट्स
1	आंध्र प्रदेश	1,59,76,100
2	कर्नाटक	99,42,735
3	महाराष्ट्र	34,99,974
4	राजस्थान	2,72,66,008
5	पंजाब	93,45,263
6	मध्य प्रदेश	4,81,34,982
7	तमिलनाडु	3,38,84,867
8	गुजरात	83,66,001
9	छत्तीसगढ	1,05,26,503
10	असम	36,92,559
11	उत्तर प्रदेश	5,56,88,914
12	बिहार	1,82,88,483
13	ओडिशा	3,01,09,994
14	केरल	79,62,677
15	झारखंड	1,10,82,694
16	तेलंगाना	1,03,96,925
17	मिजोरम	2,101
18	अंडमान और निकोबार	27,943
19	उत्तराखंड	11,39,769
20	जम्मू और कश्मीर	6,69,518
21	त्रिपुरा	1,97,759
कुल		31,40,04,270
